भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2729
दिनांक 05 अगस्त, 2025 /14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एटीएफ की चोरी

2729. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हाल ही में दिल्ली में अपराध शाखा द्वारा विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की चोरी में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था, जो पिछले तीन वर्षों से प्रतिदिन लगभग 5,000 लीटर ईंधन चुरा रहा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि चुराए गए ईंधन को तारपीन का तेल बताकर खुले बाजार में बेचा जा रहा था और यह मिलावटी ईंधन विमान सुरक्षा, इंजन की कार्यप्रणाली और यात्रियों के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था; और

(ग) क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने जा रही है ताकि ईंधन परिवहन, आपूर्ति और सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और यदि हाँ, तो उसके क्या स्वरूप होंगे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली की अपराध शाखा ने विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की चोरी के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (3)/303(1)/125/110/61(2)/3(5) के अंतर्गत एफआईआर संख्या 154/2025 दिनांक 22.06.2025 के तहत मामला दर्ज किया है और इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जाँच से पता चला है कि चोरी किए गए विमान टरबाइन ईंधन को तारपीन के तेल के रूप में खुले बाजार में बेचा गया था।

(ग): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन के सुरक्षित परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अलावा, हवाई अड्डे पर, एटीएफ प्राप्त करने वाले स्थान, स्वीकृति से पहले घनत्व, रूप और पानी की मात्रा सहित गुणवत्ता की जाँच करते हैं। ये जाँचें विमानन गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन नियमावली (AQCAM) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के सख्त अनुपालन में की जाती हैं।

****